1. सनरेफ-इंडिया क्या है?

वर्ष 2008 में सृजित, सनरेफ (प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा वित्त का सतत उपयोग) एएफडी का हरित वित्त लेबल (फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी) है। सनरेफ इंडिया आवास कार्यक्रम का उद्देश्य देश में आवास उद्योग के कारण पर्यावरण पर होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना है जहाँ 70% आवासीय इकाईयाँ अब से लेकर 2030 तक बनाई जानी हैं।
एएफडी और यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा समर्थित, राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) का उद्देश्य सार्वजनिक या निजी आवास परियोजना डेवलपर्स, प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों[1] तथा गृह क्रेताओं के साथ पुनर्वित्त परिचालन के माध्यम से 12,000 निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को हरित एवं किफायती आवास तक पहुंच आसान बनाना है।

2. प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के लिए लाभ

- प्रतिस्पर्धी दर पर पुनर्वित्त सुविधा (ऋण मूल्य का 100% तक)
- सनरेफ कार्यक्रम – हरित ऋण उत्पाद विकास के साथ विपणन और को-ब्रांडिंग
- पात्र परियोजनाओं के लिए हरित प्रमाणन लागतों की प्रतिपूर्ति जिन्होंने:
  आईजीबीसी हरित आवास रेटिंग और आईजीबीसी हरित किफायती आवास रेटिंग (स्वर्ण और प्लैटिनम रेटिंग के साथ पूर्व प्रमाणित / प्रमाणित) प्राप्त की है
  किफायती आवास रेटिंग के लिए जीआरआईएचए रेटिंग और जीआरआईएचए (4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग के साथ पूर्व-प्रमाणित / प्रमाणित)
- विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (हरित और किफायती घटकों के संबंध में मानदंड, योजना और परियोजना डिजाइन) प्राप्त किया है

3. प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के लिये पात्रता मानदंड

- आवासीय परियोजनाएं जिन्होंने आईजीबीसी/ जीआरआईएचए हरित आवास/हरित किफायती आवास रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत स्वर्ण या प्लैटिनम या 4/5 स्टार रेटिंग पूर्व-प्रमाणन / प्रमाणन प्राप्त किया है
- भारत में किसी भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी शहरी क्षेत्र में स्थित आवासीय परियोजनाएं
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग को लक्षित करने वाली परियोजनाएँ ही पात्र[2] हैं
- अधिकतम 18 लाख रु. प्रति वर्ष तक की पारिवारिक आय पात्र है
- ऋण संवितरण की तिथि 1 जनवरी 2016 के बाद की हो
- आवास ऋण की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष हो (निर्माण वित्त परियोजनाओं के लिए लागू नहीं)
- उधारकर्ता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और/या निम्न आय वर्ग के परिवारों को ऋण की सुविधा का कम से कम 50% आबंटित करेगा
- वैयक्तिक आवासीय परियोजनाएं (किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जमीन पर बनाया गया आवास) पात्र नहीं हैं
- पुनर्वित्त एजेंसी द्वारा उधार लेने की अंतिम लागत से अधिक अनुमत 625 आधार अंकों की अधिकतम सीमा

संपर्क

राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5 ए, भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
फोन : 011- 39187174 ई-मेल: subhash@nhb.org.in

---

[1] प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों में आवास वित्त कंपनियां, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान शामिल हैं।

[2] भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार, 3 लाख रु., 6 लाख रु. और 18 लाख रु. तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति क्रमशः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग की श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।